



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23062020-220114
CG-DL-E-23062020-220114

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1791]

नई दिल्ली, मंगलवार, जून 23, 2020/आषाढ़ 2, 1942

No. 1791]

NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 23, 2020/ASHADHA 2, 1942

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 23 जून, 2020

का.आ. 2016(अ).—भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 25 की उप-धारा (3) के साथ पठित धारा 16 की उप-धाराओं (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श करने के बाद केंद्र सरकार की राय है कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, अतः एतद्वारा ट्रांसपेरेंट फ्लोट ग्लास (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2019 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, नामतः-

- संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ-** (1) इस आदेश को ट्रांसपेरेंट फ्लोट ग्लास (गुणवत्ता नियंत्रण) (संशोधन) आदेश, 2020 कहा जाएगा।
(2) यह इसके शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगा।
- ट्रांसपेरेंट फ्लोट ग्लास (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2019 में, पैरा 1 के उप-पैरा (2) में "01 जुलाई, 2020" अंकों और शब्दों को "01 जनवरी, 2021" अंकों से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

[फा. सं. 11(6)/2017-सीआई]

अनिल अग्रवाल, संयुक्त सचिव

नोट : प्रमुख आदेश का.आ. 03(अ), दिनांक 31 दिसंबर, 2019 के जरिए भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग -II, खंड 3, उप-खंड (ii) के तहत प्रकाशित हुआ था।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department for Promotion of Industry and Internal Trade)

ORDER

New Delhi, the 23rd June, 2020

S.O. 2016(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 16 read with sub-section (3) of section 25 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government, after consulting the Bureau of Indian Standards, is of the opinion that it is necessary so to do in the public interest, hereby makes the following Order to amend the Transparent Float Glass (Quality Control) Order, 2019, namely:-

1. **Short title and commencement.**— (1) This Order may be called the Transparent Float Glass (Quality Control) (Amendment) Order, 2020.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Transparent Float Glass (Quality Control) Order, 2019, in Paragraph 1, in sub-Paragraph (2), for the words and figures - “1st July, 2020”, the words and figures- “1st January, 2021” shall be substituted.

[F. No. 11(6)/2017-CI]

ANIL AGRAWAL, Jt. Secy.

Note : The principal Order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* number S.O. 03(E), dated the 31st December, 2019.